कार्यालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट कटनी म.प्र.

क्रमांक/ 3287 /आर डी एम/2021 कटनी दिनांक 07/04/2021

--:: आदेश ::--

(अंतर्गत धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973)

--00--

कटनी जिले मे पिछले कुछ दिनो मे कोरोना के बढते संक्रमण को देखते हुए दिनांक 07.04.2021 को डिस्ट्रीक्ट क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक मे लिये निर्णय अनुसार एवं इस कार्यालय से जारी कार्यालयीन आदेश क्रमांक 3204/आर डी एम/2021 कटनी, दिनांक 02.04.2021 के पालन के साथ-साथ मै प्रियंक मिश्रा, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जिला कटनी एतद् द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 मे प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग मे लाते हुये कटनी जिले के नगर निगम सीमांतर्गत आगामी आदेश तक निम्नानुसार प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करता हूँ –

1. नगर निगम सीमा क्षेत्रांतर्गत रात्रि 08:00 बजे से सुबह 06:00 बजे तक रात्रिकालीन कर्फ्यू प्रभावशील रहेगा। रात्रिकालीन कर्फ्यू मे केवल अत्यावश्यक सेवा (मेडिकल एवं रेलवे में लगे अधिकारी/कर्मचारी सहित) में लगे शासकीय अधिकारी/कर्मचारियों को पहचान पत्र होने पर प्रतिबंध से छूट रहेगी, पहचान पत्र न होने पर कार्यवाही की जावेगी।

2. थाना कुठला अंतर्गत थोक सब्जी मार्केट को ट्रांसपोर्ट नगर में, बिलैया तलैया सब्जी मार्केट को फारेस्टर प्ले ग्राउण्ड में, थाना माधवनगर अंतर्गत सब्जी मार्केट को उत्कृष्ट विद्यालय के सामने ग्राउण्ड में, हाउसिंग बोर्ड ग्राउण्ड तथा थाना एन. के. जे. अंतर्गत तिलक कॉलेज के पीछे पर्याप्त सोशल डिस्टेंसिंग एवं मास्क/फेस कवर का पालन सुनिश्चित करते हुये अस्थाई रूप से शिफ्ट किया जाता है।

3. इंसीडेंट कमाण्डर को क्षेत्रीय भ्रमण के दौरान अगर यह समाधान हो जायें कि, किसी क्षेत्र विशेष में आमजन द्वारा धारा 144 के आदेशों का पालन नही कर रहे है तो ऐसी स्थिति में उक्त मार्केट को बंद करने का निर्णय ले सकते है।

4. सार्वजनिक स्थानों पर धारा 144 के आदेश का उल्लंघन करने एवं मास्क इस्तेमाल न करने वाले व्यक्तियों के लिये के. सी. एस. स्कूल (नगर निगम के बाजू में) को ओपन जेल (अस्थाई)घोषित किया जाता है। आयुक्त, नगर पालिक निगम कटनी एवं प्राचार्य, के. सी. एस. स्कूल कटनी को उक्त ओपन जेल में प्रकाश, पेयजल, साफ सफाई, सैनेटाइजर आदि आवश्यक व्यवस्थायें कराना सुनिश्चित करें।

इस आदेश की सूचना का प्रकाशन जिला कार्यालय, पुलिस अधीक्षक कार्यालय, नगर पालिक निगम, नगर पालिक परिषद, जिला चिकित्सालय कार्यालय, जिला पंचायत कटनी, समस्त अनुविभागीय अधिकारी राजस्व के कार्यालयों, समस्त तहसील कार्यालयों, समस्त जनपद पंचायत कार्यालयों के नोटिस बोर्ड पर चस्पा किया जावे एवं दैनिक समाचार पत्रों में भी इसका प्रकाशन समाचार के रूप में जनसम्पर्क विभाग द्वारा किया जावे तथा सार्वजनिक रूप से मुनादी कराकर सूचित किया जाए।

अनुविभागीय अधिकारी रा./इंसीडेंट कमांडर कटनी उपरोक्त धारा 144 का पालन कराना सुनिश्चित करेंगे तथा अपने स्तर से दल गठित कर सतत निगरानी रखेंगे एवं पालन न करने पर संबंधित के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे।

यह आदेश आम जनता को संबोधित है। चूंकि वर्तमान मे मेरे समक्ष ऐसी परिस्थितियां नही है और न ही यह संभव है कि इस आदेश की पूर्व सूचना प्रत्येक व्यक्ति को दी जावे। अत: यह आदेश एक पक्षीय पारित किया जाता है। इस आदेश के उल्लंघन पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 एवं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से धारा 60 के तहत यथास्थिति दाण्डिक एवं अभियोजन की कार्यवाही की जायेगी।

इस आदेश का पालन कराने के लिये समस्त कार्यपालक दण्डाधिकारी, सहायक उपनिरीक्षक अथवा उससें वरिष्ठ पुलिस कर्मी, समस्त मुख्य नगर पालिका अधिकारी/नगर पंचायत एवं नगर निगम के सहायक आयुक्त अथवा इससे वरिष्ठ अधिकारी दण्ड अधिरोपित करने एवं दण्ड की राशि वसूलने हेतु अधिकृत होंगे।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेगा।

(प्रियंक मिश्रा)(IAS)
कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
जिला कटनी म.प्र.

जिला मजिस्ट्रेट
जिला कटनी (म.प्र.)

//2//

पृ. क्रमांक/ 3287 /आर डी एम/2021

प्रतिलिपि,

कटनी दिनांक 07/04/2021

01. उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय भोपाल।
02. अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
03. प्रमुख सचिव म0प्र0 शासन सामान्य प्रशासन/गृह/स्वास्थ एवं परिवार कल्याण विभाग भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ।
04. कमिश्नर महोदय जबलपुर संभाग जबलपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
05. पुलिस अधीक्षक कटनी की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु। एवं समस्त थाना प्रभारियों को उपलब्ध कराते हुये आदेश एवं निर्देश का सख्ती से पालन कराये जाने हेतु।
06. अपर जिला मजिस्ट्रेट कटनी की ओर सूचनार्थ।
07. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत कटनी की ओर सूचनार्थ आवश्यक कार्यवाही हेतु।
08. उपखण्ड मजिस्ट्रेट एवं अनु विभागीय अधिकारी (राजस्व) कटनी/विजयराघवगढ/बहोरीबंद/ढीमरखेडा की ओर सूचनार्थ एवं आदेश निर्देशो का सख्ती से पालन कराये जाने हेतु।
09. तहसीलदारएवं कार्यपालिक मजिस्ट्रेट कटनी/रीठी/बड़वारा/बरही/विजयराघवगढ/बहोरीबंद/ढीमरखेडा/स्लीमनाबाद
10. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला कटनी की ओर सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु।
11. आयुक्त नगर पालिक निगम/नगर परिषद कैमोर विजयराघवगढ बरही की ओर सूचनार्थ।
12. क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (आरटीओ) जिला कटनी की ओर सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु।
13. समस्त कार्यालय प्रमुख .... कटनी की ओर सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु।
14. जिला जनसंपर्क अधिकारी कटनी की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
जिला - कटनी

जिला मजिस्ट्रेट
जिला कटनी (म.प्र.)

COURT OF DIST... KATNI